# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–5771/2022**

सोना टांक **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।?
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), उदयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर।
5. श्रीमती ज्योतिबाला शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि, बलीचाय गिरवा, उदयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 27.09.2023

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**निजी प्रत्यर्थी की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलौच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहनगर, उदयपुर में स्थानांतरणाधीन होना मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर किया गया था, जिसे इस अपील में अपीलार्थी ने चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहनगर, उदयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.10.2022 बलीचा, गिरवा उदयपुर में कार्यग्रहण कर लिया था। इस प्रकार आदेश दिनांक 10.10.2022 की पालना हो चुकी थी। फिर भी अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 में स्थानांतरणाधीन होना बताया गया है, जो गलत रूप से बताया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

फतेहनगर, उदयपुर किया गया था और आलौच्य में अपीलार्थी को स्थानांतरणाधीन होना देखते उसका स्थानांतरण पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहनगर, उदयपुर किया गया है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से दुबारा स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.11.2022 पारित कर आलौच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 01.11.2022 की क्रियान्विति स्थगित रखी थी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

2. निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी विधवा महिला है, जिसको ध्यान में रखते हुए निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण निरस्त कर उसे उसी स्थान पर अर्थात् राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर में रखा गया है। निजी प्रत्यर्थी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर में कार्यग्रहण भी कर लिया।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है राज्य सरकार प्रशासन को चुस्त एवं दुरूस्त बनाने हेतु समय–समय पर प्रशासनिक कारणों से अपने कार्मिक की सेवाऍ कही पर लेने हेतु छात्र हित में स्वतंत्र है। अतः विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश वैद्य एवं सही तथा विधि सम्मत व न्यायोचित हैं।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहनगर, उदयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर स्थानांतरित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.10.2022 को कार्यग्रहण कर लिया था, जिसके संबंध में आदेश अनुलग्नक–5 प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2022 की पालना की जा चुकी थी और अपीलार्थी स्थानांतरणाधीन नहीं था। ऐसे में अपीलार्थी को स्थानांतरणाधीन मानते हुए अपीलार्थी का अल्पसमय में ही आदेश दिनांक 28.10.2022 द्वारा पुनः स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।

5. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाता है। चूंकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलीचा, गिरवा, उदयपुर में वर्तमान पद पर अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी दोनों कार्यरत है, ऐसे में एक ही पद पर दो व्यक्ति कार्यरत होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग निजी प्रत्यर्थी के संबंध में प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**